रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2015/फाल्गुन 28, 1936
No. 606] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2015 /PHALGUNA 28, 1936

वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 मार्च, 2015

का.आ.798(अ).—यतः केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) द्वारा लगाए गए कुछेक प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और यतः केंद्र सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि कर्नाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप–धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14–क की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 10(1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 अप्रैल, 2015 तक के लिए ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/15/2013–ईपी (एग्री– VI)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

S.O. 798(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

And, whereas, the Central Government considers it necessary to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of the registered growers and flue cured virginia tobacco of unregistered growers at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the State of Karnataka.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby relaxes the operation of the provisions of section 10(1), read with sub-section (1) of 14-A of the said Act in the State of Karnataka for the period commencing from the date of publication of this notification in the official Gazette upto the 30th April, 2015 and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/15/2013 – EP (Agri.VI)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

का.आ. 799(अ).–यतः, केंद्र सरकार को तम्बाकू बोर्ड द्वारा यह सूचना दी गई है कि कर्नाटक राज्य में बड़ी संख्या में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की अधिकृत मात्रा से अधिक खेती हो गई है तथा अपंजीकृत उत्पादकों ने भी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की अनधिकृत खेती की है, जिससे मांग तथा आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन आ गया है;

और यतः केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद की अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत करना आवश्यक एवं समीचीन है और वह कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचो पर पंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बैशी फसल तथा अपंजीकृत उत्पादकों की फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की फसल का निपटान करना उचित समझती है;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप–धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा तम्बाकू बोर्ड को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 अप्रैल, 2015 तक की अवधि के लिए यह प्राधिकार देती है कि वह कर्नाटक राज्य में अपने नीलामी मंचों पर कर्नाटक राज्य में पंजीकृत किसानों द्वारा उगाए गए अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उगाए गए फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करें; अर्थात

(क) वर्ष 2014–15 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक पंजीकृत उपजकर्ता को बैशी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन पर दो रूपए प्रति किलो तथा बिक्री अर्जन के 7.5 प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के 1 प्रतिशत के सामान्य सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा, यह प्राधिकृत कोटा के 15 प्रतिशत की सीमा तक सीमित होगा।

(ख) वर्ष 2014–15 के फसली मौसम के लिए प्रत्येक पजीकृत उत्पादक द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के लिए प्राधिकृत कोटे के 15 प्रतिशत की सीमा से बैशी फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर और प्रत्येक अपंजीकृत उत्पादक द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू पर तम्बाकू निधि में दो रूपए प्रति किलोग्राम या बिक्री आय के 15 प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय अर्जन के 1 प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित) की राशि का योगदान तम्बाकू निधि में करना होगा।

(ग) वर्ष 2014 के लिए तम्बाकू की फसल के संबध में अधिकारों के रिकार्ड की एक प्रति प्रस्तुत है।

[फा. सं. 5/15/2013–ईपी (एग्री– VI)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

S.O. 799 (E).—Whereas, the Central Government has been informed by the Tobacco Board that a large number of registered growers have cultivated flue cured virginia tobacco in excess of the authorised quantity and unregistered growers have also resorted to unauthorised flue cured virginia tobacco cultivation in the State of Karnataka, causing a mismatch between the demand and supply position;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to authorise Tobacco Board to allow the purchase of flue cured virginia tobacco and consider it appropriate to dispose of the excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and the flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the State of Karnataka.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 20A, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to admit from the date of publication of this notification in the official Gazette upto the 30th April, 2015, the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at its auction platforms in the State of Karnataka, the excess flue cured virginia tobacco produced by the registered growers and flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in the State of Karnataka, subject to the following conditions, namely:-

(a) an amount of Rs. 2 per kg. and 7.5 per cent. of the proceeds of the sale (including a normal service charge of 1 per cent of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced by him/her upto the extent of 15 per cent of the quota authorised for 2014-15 crop season;

(b) an amount of Rs. 2 per kg. and 15 per cent. of the proceeds of the sale (including a normal service charge of 1 per cent of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess flue cured virginia tobacco produced by him/her over and above the limit of 15 per cent of the quota authorised and also by every unregistered grower for the flue cured virginia tobacco produced by him/her for 2014-15 crop season;

(c) a copy of the Record of Rights in respect of tobacco crop for the year 2014 is furnished.

[F. No. 5/15/2013-EP(Agri-VI)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.